

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.12(7)वन/2011

जयपुर, दिनांक

29 JAN 2012

—: आदेश :—


राजस्थान वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक हित में तत्काल प्रभाव से निम्न विवरणानुसार किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	लादू सिंह	उप वन संरक्षक, आदेशों की प्रतीक्षा में	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर	रिक्त पद पर
2.	राजेश शर्मा	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	कार्य आयोजना अधिकारी मुख्य वन संरक्षक कोटा	श्रीमती राजसंदीप के स्थान पर
3.	वी.पी. पारीक	उप वन संरक्षक करौली	उप वन संरक्षक अलवर	रिक्त पद के विरुद्ध
4.	ओ.पी. गेनारिया	उप वन संरक्षक राजसमंद	कार्य आयोजना अधिकारी उदयपुर	रिक्त पद पर
5.	भवंरलाल वेनीवाल	उप वन संरक्षक, सीईटी जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर	रिक्त पद के विरुद्ध
6.	राजेन्द्र हुडा	उप वन संरक्षक, बायोडाईवर्सिटी बोर्ड जयपुर. (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक बायोडाईवर्सिटी बोर्ड जयपुर	रिक्त पद पर
7.	के.के. शर्मा	सहायक वन संरक्षक देवली टोंक (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक बायोलोजिकल पार्क, नाहरगढ़	श्री देवेन्द्र भारद्वाज के प्रशिक्षण पर जाने से रिक्त पद के विरुद्ध
8.	गजेन्द्र सिंह पवार	सहायक वन संरक्षक, रामगढ़ बूंदी (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक जिला परिषद, अजमेर	रिक्त पद पर
9.	ओ.पी. चौधरी	सहायक वन संरक्षक विभागीय कार्यमण्डल बीकानेर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक जमवारामगढ़	रिक्त पद पर
10.	भवंर सिंह	सहायक वन संरक्षक झालावाड (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक प्रस्तावित अरावली राष्ट्रीय उद्यान (पेंथर प्रोजेक्ट) मुख्यालय कुम्भलगढ़	नवसृजित पद पर
11.	हरिकृष्णन शारस्वत	सहायक वन संरक्षक, सरिस्का (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड जयपुर	श्री उदयवीर सिंह के स्थान पर
12.	भवंर सिंह	सहायक वन संरक्षक बीकानपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक वन संरक्षक जिला परिषद बीकानेर	रिक्त पद पर
13.	सुरेशम काला	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप वन संरक्षक सीईटी जयपुर	रिक्त पद के विरुद्ध
14.	शैलेन्द्र यादव	सहायक वन संरक्षक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कोटा (स्थानान्तरणाधीन)	अनुसंधान अधिकारी कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा	रिक्त पद पर
15.	जयप्रकाश	सहायक वन संरक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक, चुरू	उप वन संरक्षक धौलपुर	रिक्त पद के विरुद्ध
16.	संजयम	सहायक वन संरक्षक, कार्यालय उप निदेशक, बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा	रिक्त पद के विरुद्ध
17.	गुकेश रानी	सहायक वन संरक्षक आदेशों की प्रतीक्षा में	सहायक वन संरक्षक रामगढ़ विपधारी बूंदी	रिक्त पद पर
18.	राजपाल श्यालिया	सहायक वन संरक्षक गंगपुरसिटी (स.मा.)	उप वन संरक्षक पी एण्ड एम, भरतपुर	रिक्त पद के विरुद्ध
19.	महेन्द्र सिंह राठौड	सहायक वन संरक्षक जोधपुर	उप वन संरक्षक करौली	श्री वी.पी. पारीक के स्थान पर उप वन संरक्षक के पद के विरुद्ध

20.	कुमार स्वामी गुप्ता	सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर	उप वन संरक्षक राजसमंद	श्री ओपी गेनारिया के स्थान पर उप वन संरक्षक के पद के विरुद्ध
21.	उदयवीर सिंह	स.व.सं. मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड जयपुर	उप वन संरक्षक विलैज रिलोकेशन अलवर	रिक्त पद के विरुद्ध
22.	पदम सिंह राठौड	सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	उप वन संरक्षक पी एण्ड एम, जोधपुर	रिक्त पद के विरुद्ध
23.	किशन सिंह भाटी	सहायक वन संरक्षक, सुमेरपुर पाली	उप वन संरक्षक, जालौर	श्री आर एन गीणा के स्थान पर उप वन पद के विरुद्ध
24.	रमेश सेनी	सहायक वन संरक्षक (आदेशों की प्रतीक्षा में)	उप वन संरक्षक भरतपुर	रिक्त पद के विरुद्ध
25.	करण सिंह	सहायक वन संरक्षक (आदेशों की प्रतीक्षा में)	उप वन संरक्षक ओपीसीएफ, मोहनगढ़	रिक्त पद के विरुद्ध
26.	दलवीर सिंह	सहायक वन संरक्षक, बाडी धौलपुर	सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर	पदम सिंह राठौड के स्थान पर
27.	सुदर्शन शर्मा	सहायक वन संरक्षक रणधम्मौर बाघ परियोजना	सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर	रिक्त पद पर
28.	घनश्याम स्यारा	सहायक अभियंता आदेशों की प्रतीक्षा में	भू-संरक्षण अधिकारी लूणी परियोजना	रिक्त पद पर

यह आदेश स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध बाबत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आईडी संख्या 1326/डीएस/एआर-I/11 दिनांक 09.01.2012 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,




(सीमा सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 वन ~~सचिव~~ मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रमुवसं।
6. संबंधित अधिकारीगण द्वारा प्रमुवसं।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव